

प्रेमक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- सी.एस.जे.एम.वि.वि./संख./५६४/२००४ दिनांक १.६.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाशक्ति कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के सुसंगत प्रावधानों तथा संशोधन अधिनियम २००३ की धारा -५ के अधीन स्वरानी सुखनन्दन सिंह महाविद्यालय, नौबस्ता कानपुर को बी.एड. पाठ्यक्रम में सी सीटी की प्रवेश क्षमता के साथ स्वयंसेवक पौधित योजनाअन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहमति प्रदान कर दी है :-

1. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही निरीक्षण आख्या /प्रपत्र 'बी' में इंगित एवं उक्त महाविद्यालय मानकानुसार ५००० वर्गमीटर भूमि रजिस्ट्री कराने सम्बन्धी समस्त कानियों को पूरा कर लेना अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/संतर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों से अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राजेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, लखनऊ, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. प्रख्यात/प्रणाली अनुसार सुखनन्दन सिंह महाविद्यालय, नौबस्ता कानपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, क्षेत्रीय सचिवालय, लखनऊ।

Handwritten signature and stamp of the State Governor's office

प्रबन्धक
स्वरानी सुखनन्दन सिंह महाविद्यालय
नौबस्ता, कानपुर नगर

(राजेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।